राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांकः एफ 5(1) आ.प्र. एवं स.आ./गौशाला अनुदान/2014/6955-66 जयपुर,दिनांक 2.6.15

जिला कलेक्टर,(सहायता),
जैसलमेर।

विषयः— अभाव संवत् 2071 में रबी फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावगग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त क्षेत्रों की पंजीकृत गौशालाओं के पशुओं को अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में दिशा—निर्देश।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 1(3) आ.प्र.सआ/ ओलावृष्टि /2015/ 6206—25 दिनांक 13.05.2015 से आपके जिले को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। यह ~~अवधि 31.7.2015 तक प्रभावी रहेगी। अभाव संवत् 2071 में रबी फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर~~ अभावग्रस्त घोषित उन्हीं क्षेत्रों की पंजीकृत गौशालाओं द्वारा संधारित बड़े एवं छोटे पशुओं हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.11.2013 को जारी राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के मानदण्डो के अनुसार पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव संचालित संस्था द्वारा निर्धारित शर्तो की पालना सुनिचित शपथ पत्र आदेश पत्र के साथ प्राप्त करने के पश्चात प्रेषित करें। परन्तु ध्यान रहे कि इन क्षेत्रों में पूर्व में यदि किसी गौशाला की स्वीकृति ली गई है तो उसे पुनः शामिल न करें। आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग से प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने के उपरान्त ही जिला कलेक्टर द्वारा तदानुसार स्वीकृति जारी की जावे।

अनुदान स्वीकृत करने के विस्तृत दिशा—निर्देश सहायता निर्देशिका के अध्याय —6 बिन्दु सं.6.1 से 6.3.4 में अंकित है। इस सम्बन्ध में निम्न दिशा—निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावेः—

21. <u>अनुदान दर—</u>
सहायता निर्देशिका के बिन्दु संख्या 6.2.6 में संशोधन अनुसार गौशालाओं द्वारा संधारित पशुओं में बड़े पशु हेतु 50/— रूपये तथा छोटे पशु हेतु 25/— रूपये प्रति पशु प्रतिदिन की दर से अनुदान देय होगा।

22. <u>पशु आहार—</u>
(1) निर्धारित दर से अनुदान उसी स्थिति में स्वीकृत किया जावे, जबकि गौशाला संचालको द्वारा संधारित किये जा रहे पशुओं को चारे के साथ—साथ क्रमशः 1 कि.ग्रा. पशु आहार बड़े पशुओं हेतु तथा 1/2 कि.ग्रा. पशु आहार छोटे पशुओं को उपलब्ध कराया जाता है। यदि निर्धारित दर पर पशु आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो सहायता निर्देशिका के बिन्दु संख्या 6.2.11के तहत वर्ष 2012 से निर्धारित नई दरो के संशोधन अनुसार पशु आहार की राशि क्रमशः 11/— रूपये बड़े पशु तथा 5.50 रूपये प्रति छोटे पशु के हिसाब से अनुदान बिलों से काटी जाकर शेष रही राशि ही अनुदान स्वरूप स्वीकृत की जावे।
(2) आर.सी.डी.एफ/राजफैड द्वारा निर्मित अथवा राजफैड/आरसीडीएफ द्वारा क्रय कर आपूर्ति किया गया पशु आहार उपलब्ध कराये जाने पर ही अनुदान देय होगा।

23. <u>निरीक्षण मापदण्ड—</u>
अनुदान हेतु अनुमत सभी गौशालाओं का माह में एक बार जिले में पदस्थापित विभिन्न अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जावें। निरीक्षण के लिए न्यूतम मापदण्ड निम्न प्रकार से निर्धारित हैः—

क्र.स.	नम अधिकारी	न्यूनतम निरीक्षण	कार्य क्षेत्र
1.	तहसीलदार/विकास अधिकारी	25 प्रतिशत	तहसील/पं. समिति
2.	उपखण्ड अधिकारी	10 प्रतिशत	उपखण्ड

3.	अति. जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सम्मिलित रूप से)	5 प्रतिशत	जिला
4.	जिला कलक्टर	यथासम्भव अधिकाधिक	जिला
5.	पशुपालन/चिकित्सा के आधिकारी	प्रत्येक गौशाला, माह में 2 बार	तहसील/पं. समिति

24. **अनुदान की देयता:–**

यहा भी स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी पंजीकृत गौशाला जिसके द्वारा पशुओं का संधारण किया जा रहा है, उसके लिए जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त ही अनुदान राशि देय होगी।

(i) ऐसी पंजीकृत गौशालाओं की संचालन समिति में जिला कलेक्टर द्वारा सदस्य के रूप में एक प्रतिनिधि मनोनीत किया जावे तथा यह निर्देशित किया जावे कि गौशाला संचालन समिति की प्रत्येक बैठक की दिनांक की सूचना ऐसे प्रतिनिधि को समय पर दी जावे एवं वित्तीय प्रकृति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय उसी बैठक में लिये जावे, जिसमें जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि उपस्थित हो ।

(ii) गौशाला के लेखे जोखे सही एवं भली प्रकार से संधारित कराये जावें। गौशालओं में निम्न लिखित रजिस्टरों का संधारण कराया जावें।:–

क. खरीद एवं स्टाक रजिस्टर
ख. पशुओं का रजिस्टर
ग. दैनिक खर्च रजिस्टर
घ. दैनिक खर्च का हिसाब

(iii) जिला कलेक्टर, जिला पशु पालन अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा समय समय पर गौशालाओं का निरीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि गौशलाओं के पशुओं का सही प्रकार से पोषण किया जा रहा है।

25. **भुगतान:–**

गौशाला द्वारा सरंक्षित किये जा हे पशुओं की संख्या का प्रमाणीकरण सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा कियें जाने के उपरान्त ही, गौशाला द्वारा प्रस्तुत मासिक बिलों के आधार पर अनुदान दिया जावे।

26. गत सम्वत में कुछ अभावग्रस्त जिलों द्वारा या तो विभाग को प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में नही भिजवाये गये है या जिलों द्वारा स्वयं के स्तर पर ही गौशालाओं को स्वीकृत कर दिया गया । इस सम्बन्ध में पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि जिला कलेक्टर प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करे तथा विभाग द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने के उपरान्त ही जिला कलेक्टर तदानुसार स्वीकृति जारी करे।

27. जिला कलेक्टर द्वारा प्रेषित प्रस्तावों पर विभाग स्तर से आगामी सात दिवसों में कोई सूचना प्राप्त नही होती है तो जिला कलेक्टर इस सम्बन्ध में शासन सचिव अथवा संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग से जानकारी प्राप्त कर गौशालाओं की स्वीकृति जारी करवाने की कार्यवाही करे।

28. गौशाला अनुदान स्वीकृत हो जाने के उपरान्त जिला कलेक्टर विभाग को निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक 10 दिवसों में उक्त गतिविधि में हुई प्रगति से अवश्य अवगत करावे। उक्त अनुदान पहली बार 60 दिवस के लिए तथा भीषण सूखा की स्थिति में 90 दिवस तक राज्य कार्यकारी समिति के आंकलन से बढाया जा सकता है।

29. यदि पंजीकृत गौशाला के खिलाफ कोई जांच विचाराधीन है तो उन संस्थाओं की जांच के निस्तारण उपरान्त ही प्रस्ताव अभाव अवधि में प्रेषित करें।

30. यह भी सुनिश्चित करें कि स्वीकृत पंजीकृत गौशालाओं में पशु वृद्धि के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर के स्तर के अधिकारी द्वारा निरीक्षण कराया जाये एवं निरीक्षण के दौरान पशुओं की संख्या, पानी की व्यवस्था, चारा खिलाने की व्यवस्था, संधारित रजिस्टरों व अन्य सुविधाऐं जो विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार सही पाये जाने के उपरांत पशु बढ़ोत्तरी के प्रस्तावों की अनुशंषा जिला कलक्टरों को करें तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर की अनुशंषा से स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करें।

31. जिला कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित गौशाला के लिए स्वीकृति जारी करते समय सम्बन्धित संचालक संस्था से एक शपथ–पत्र लिया जायें।(संलग्न शपथ–पत्र का प्रारूप 10 रूपये नोन जूडिशियल स्टाम पेपर पर)

32. स्वीकृत गौशालाओं का मुख्यालय/जिला कलेक्टर द्वारा आकस्मिक निरक्षण/ विडियो ग्राफी की जा सकेगी। आकस्मिक निरीक्षण में अनियमितता पायी जायेगी तो सम्बन्धित संस्था/संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध कानूनी/विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीय

2/6/15

शासन सचिव

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0., जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग,राज.,जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव पशुपालन एवं प्रबन्ध निदेशक, आरसीडीएफ, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
7. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
9. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
10. प्रोग्रामर, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
11. गार्ड फाईल।

शासन संयुक्त सचिव

शपथ पत्र/बन्ध पत्र का (Affidavit/Bond) प्रारूप

मै.. पुत्र/पुत्री/... उम्र ....

निवासी......................... तहसील .... जिला का निवासी हूँ। मै शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ की

---

1. मेरी संस्था का नाम ....एवं संस्था का पंजीयन संख्या.................................. .... यह है।

2. मेरी मेरी गौशाला/पशुशिविर के संचालन का स्थान.............................. तहसील का नाम...................... ...., जिले का नाम..यह है।

3. मै इस गौशाला/पशुशिविर का पिछले ...... वर्षो से संचालित कर रहा हूँ मेरी गौशाला/पशुशिविरे में वर्तमान में ....बड़े...........................छोटे कुल....................पशु संधारित है।

4. मुझे ज्ञात है कि जिला कलेक्टर/राज्य स्तर से पशु शिविर का अकस्मिक निरीक्षण/विडियो ग्राफी करवाई जा सकेगी।

5. मैं भलीभांति परिचित हूँ कि आकस्मिक निरीक्षण/ विडियो ग्राफी के दौरान बताई गई पशु संख्या में यदि कमी /अनियमितता पाये जाती है तो मेरे व मेरी संस्था के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

6. मै पशु शिविर/गौशाला की स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तो की पूर्णतः पालना करूगाँ।

7. जिले द्वारा समय–समय पर दी गई सभी शर्तो का मैं पूर्वतः पालन करूंगा।

शपथग्रहिता

मै.. पुत्र/पुत्री/... उम्र ....

निवासी.........................शपथपूर्वक बयान करता हूं कि उपर्युक्त संख्या 1 से 6 तक दिया गया विवरण सत्य है।

शपथग्रहिता